REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 2 | NOVEMBER - 2018

# ''राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन''

डॉ. विजय कुमार
सहायक आचार्य, E.A.F.M. स्वर्गीय पण्डित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय, दौसा

## प्रस्तावना :

सहकारिता आन्दोलन का मुख्य ध्येय किसानों, श्रमिकों, लघु–व्यवसायियों तथा विविध स्तरों पर उत्पाद गतिविधियों में संलग्न जन–साधारण को बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराते हुए अपनी पारस्परिक सहयोग पर आधारित सामूहिक आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित कर उनका आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करना, उन्हें उनके श्रम एवं उत्पाद का उचित मूल्य उपलब्ध कराना, इसके साथ ही उपभोक्ता को भी उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त वस्तुएँ उपलब्ध करवाना तथा इसके माध्यम से एक शोषण मुक्त स्वावलंबी एवं सशक्त आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है ताकि राज्य की सर्वतोमुखी प्रगति सुनिश्चित की जा सके। सहकारिता का ध्येय वाक्य ''सब एक के लिए–एक सब के लिए'' है।

दक्षिण भारत में किसान विद्रोह एवं किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने हेतु गठित विभिन्न समितियों की सिफारिशों के आधार पर 1904 में देश में प्रथम सहकारी कानून बनाया गया। राज. में भूतपूर्व अजमेर रियासत में 1904 में पहला कानून अस्तित्व में आया। 1915 में भरतपुर, 1916 में कोटा, 1926 में बीकानेर, 1934 में अलवर, 1938 में जोधपुर तथा 1944 में जयपुर रियासत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई। सन् 1953 में राजस्थान सहकारिता अधिनियम लागू किया गया साथ ही 1956 में भूमि विकास बैंकों के दीर्घकालीन ऋणों के लिए पृथक से राजस्थान सहकारी भूमि रहननामा अधिनियम बनाया गया। इसके पश्चात् विभिन्न सिफारिशों के आधार पर 1965 में दोनों कानून की जगह एक ही सहकारी कानून लागू किया गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलते परिवेश में नवीन आवश्कताओं के मुताबिक सहकारी संस्थाओं के स्वयं के कार्य संचालन में पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करने हेतु राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 दिनांक 14 नवम्बर, 2002 से लागू किया गया।

सहकारिता विभाग राजस्थान में मुख्य रूप से फसल के लिए कृषि आदानों की व्यवस्था एवं तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालीन ऋणों का वितरण दीर्घकालीन ऋणों का वितरणा, क्रय–विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि आदान यथा–खाद, बीज एवं कीटनाशक की व्यवस्था, कृषि उत्पादों का विपणन, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन हेतु खाद्य प्रसंकरण इकाईयों का संचालन, नियंत्रित एवं अनियंत्रित उपभोक्ता सामग्री का वितरण, डेयरी सुविधाएँ, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु स्वयं सहायता समूहों एवं सहकारी समितियों का गठन वित्त पोषण एवं चालन आदि कार्य किए जाते हैं।

राजस्थान सहकारिता विभाग निम्न संस्थाओं का नियम एवं नियंत्रण करता है। राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर (अपेक्स बैंक) राज. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि. (राजफैड़), राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर (कॉनफैड़), राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि. जयपुर (तिलक संघ), राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर, राज. राज्य सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर, राज. राज्य सहकारी संघ लि. जयपुर, राज. राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर (राइसेम) राजस्थान अरबन को–ऑपरेटिव बैंक, राज. राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स फैडरेशन, जयपुर (स्पिन फैड़) है।

सहकारी विपणन संस्थाओं में शीर्ष की संस्था राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि. (राजफैड़) है। यह क्रय–विक्रय समितियों की शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसकी कुल सदस्य संख्या 258 है। (239 क. वि. स. स.। राज्य सरकार 6 संस्था। मिले, 12 नाम मात्र) । राजफैड का मुख्य कार्य किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाने हेतु सदस्य क्रय–विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा वाणिज्यिक आधार पर कृषि उपज की खरीद करना, किसानों को उचित मूल्य पर उन्नत व प्रमाणित बीज की आपूर्ति करना, पशु आहार फैक्ट्री के माध्यम से पशु–आहार का उत्पादन एवं विक्रय करना है।

क्रय–विक्रय सहकारी समिति को शीर्ष संस्था द्वारा गेहूँ, सरसों, जौ, चना, जीरा, मेथी, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूगफली, कपास आदि की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। राजफैड़ द्वारा सदस्य क्रय–विक्रय सहाकरी समितियों के माध्यम से किसानों को समय–समय पर डी. ए. पी. यूरिया, एस. एस. पी. जिप्सम आदि उपलब्ध करवाया जा रहा है। जयपुर शहर के उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस वितरण की व्यवस्था करना एवं इस हेतु इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन की इण्डेन गैस एजेन्सी का संचालन करना, चिन्हित कमजोर क्रय–विक्रय सहकारी समितियों को रियायती ब्याज दर पर रिवाल्विंग एवं फण्ड उपलब्ध करवा कर आर्थिक संबल प्रदान करना।

प्रशासक एवं प्रबंध संचालक के अधीन राजफैड़ में पाँच महा–प्रबंधक कार्यरत हैं जो वित्त एवं लेखन, कृषि आदान, वसूली, मानव संसाधन विकास एवं पशु आहार फैक्ट्री का कार्य देखते हैं। राजफैड़ के आठ क्षेत्रीय कार्यालय है। (सात संभागीय मुख्यालय एवं एक श्रीगंगानगर) राजफैड़ में कुल कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की संख्या वर्तमान में 77 है। जबकि राजफैड़ में कुल स्वीकृत पद 175 है।

उपर्युक्त सभी विवरण को देखते हुए प्रश्न उठना लाजमी है कि क्या सहकारिता विभाग अपने कार्यों में सफल हुआ हैं? क्या सहकारिता विभाग के अधीन संचालित क्रय–विक्रय सहकारी समितियाँ अपना कार्य सफलतापूर्वक संचालित कर रही है? क्या क्रय–विक्रय सहकारी समितियाँ सभी नियमों की पालना करते हुए अपने उद्देश्य प्राप्त करने में सफल रही है? इस के लिए निम्न सांख्यिकीय विश्लेषण कुछ तालिकाओं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं–

**(1) टर्नओवर एवं लाभ :** राजफैड का टर्नओवर एवं लाभ निम्न प्रकार रहा है :–

| वर्ष | बजट लक्ष्य (करोड़ रू.) | टर्न ओवर (करोड़ रू.) | शुद्ध लाभ (लाख रू.) |
|---|---|---|---|
| 2010–11 | 382.50 | 560.94 | 222.88 |
| 2011–12 | 638.23 | 682.23 | 928.00 |
| 2012–13 | 820.02 | 764.88 | 433.87 |
| 2013–14 | 802.42 | 592.44 | 357.93 |
| 2014–15 | 803.47 | 729.76 | 660.71 |
| 2015–16 | 773.84 | 510.00 | 410.00 |
| 2016–17 | 816.30 | 990.48 | 233.80 |
| 2017–18 (अनुमानित मार्च 2018 तक) | 383.74 | 3640.00 | 2500.00 |

**(2) राजफैड़ की वाणिज्यिक खरीद :** राजफैड की वाणिज्यिक खरीद निम्न प्रकार रही है :–

| वर्ष | फसल | खरीद (करोड़ रू.) |
|---|---|---|
| 2010–11 | सरसों, जीरा, जौ | 32.46 |
| 2011–12 | सरसों, चना, जीरा, धनिया, उड़द, सोयाबीन | 31.45 |
| 2012–13 | सरसों, चना, जौ, सोयाबीन, बाजरा | 40.94 |



LBP PUBLICATION

| | | |
|---|---|---|
| 2013–14 | सरसों, चना, जौ, बाजरा, जीरा, धनिया | 38.38 |
| 2014–15 | जौ, सोयाबीन, मोठ, मूंग, ग्वार, बाजरा | 24.45 |
| 2015–16 | सरसों, सोयाबीन, जौ, मोठा, ग्वार | 15.44 |
| 2016–17 | सरसों | 18.89 |
| 2017–18 | धनिया | 1.11 |

(3) **पशु आहार :** सहकारी पशु आहार फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता 80 मै. टन/दिन है गुणवत्ता के क्षेत्र में फैक्ट्री ने अन्तर्राष्ट्रीय मानक आई एम ओ 9001 प्राप्त कर लिया है।

| वर्ष | वार्षिक क्षमता (मै. टन) | उत्पादन पशुआहार (मै. टन) | क्षमता उपयोग प्रतिशत | विक्रय (लाख रू.) | शुद्ध लाभ (लाख रू.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–12 | 24000 | 9857 | 34.00 | 911.32 | 40.00 |
| 2012–13 | 24000 | 9591 | 48.07 | 1189.92 | 20.00 |
| 2013–14 | 24000 | 11000 | 46.00 | 1652.78 | 20.00 |
| 2014–15 | 24000 | 12419 | 51.44 | 1652.78 | 122.00 |
| 2015–16 | 20000 | 14284 | 71.42 | 2086.96 | 80.00 |
| 2016–17 | 20000 | 14504 | 72.52 | 2435.86 | 165.20 |
| 2017–18 | 20000 | 14180 | 70.90 | 2198.24 | 210.00 |
| 2018–19 (जून 2018 तक) | 20000 | 3322 | 17.00 | 487.22 | 30.00 |

(4) **रसोई गैस वितरण :** राजफैड़ द्वारा इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन की इण्डेन गैस एजेन्सी का संचालन किया जा रहा है जिसके द्वारा जयपुर के सी–स्कीम ज्योति नगर, गाँधी नगर, सिविल लाईन्स आदि अति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के लगभग 18,000 उपभोक्ताओं की रसोई गैस की आपूर्ति की जा रही है।

| वर्ष | सिलेण्डर (संख्या) | आपूर्ति (लाख रुपये) | लाभ (लाख रुपये) |
|---|---|---|---|
| 2011–12 | 1,44,760 | 561.87 | 9.51 |
| 2012–13 | 1,43,684 | 610.78 | 16.15 |
| 2013–14 | 1,45,684 | 648.63 | 18.51 |
| 2014–15 | 1,61,867 | 662.95 | 29.51 |
| 2015–16 | 1,47,638 | 874.52 | 25.00 |
| 2016–17 | 1,38,807 | 773.86 | 21.70 |
| 2017–18 | 1,61,883 | 1128.94 | 12.00 |
| 2018–19 (अनुमानित जून 2018 तक) | 39,661 | 275.53 | 3.00 |

(5) **न्यूनतम समर्थन मूल्य :** भारत सरकार द्वारा 2017–18 की रबी एवं खरीफ की मुख्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार घोषित किए गए हैं जिसके तहत क्रय किया जाता है।

| क्र.सं. | वर्ष | फसल | समर्थन मूल्य |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017–18 | गेहूँ | 135 |
| 2 | 2017–18 | जौ | 1410 |
| 3 | 2017–18 | मसूर | 4150 |
| 4 | 2017–18 | चना | 4250 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 2017–18 | सरसों टेपसीड़ | 4250 |
| 6 | 2017–18 | सोयाबीन | 2850 |
| 7 | 2017–18 | उड़द | 5200 |
| 8 | 2017–18 | मूँग | 5375 |
| 9 | 2017–18 | मक्का | 1425 |
| 10 | 2017–18 | बाजरा | 1425 |

**(6) कृषि आदान वितरण :** राजफैड का कृषि आदान वितरण निम्न प्रकार है :–

| वर्ष | कृषि आदान | क्रय (करोड़ रू.) |
|---|---|---|
| 2011–12 | डी. ए. पी. यूरिया, एस. एस. पी. जिप्सम बीज | 769.85 |
| 2012–13 | डी. ए. पी. यूरिया, एस. एस. पी. कॉम्पलैक्स खाद जिप्सम बीज | 718.70 |
| 2013–14 | डी. ए. पी. यूरिया, जिप्सम बीज | 261.92 |
| 2014–15 | डी. ए. पी. यूरिया, एस. एस. पी. जिप्सम बीज | 269.27 |
| 2015–16 | डी. ए. पी. यूरिया, एस. एस. पी. जिप्सम बीज | 466.52 |
| 2016–17 | डी. ए. पी. यूरिया, एस. एस. पी. जिप्सम बीज | 134.23 |

**(7) रिवोल्टिंग फंड :** राजफैड़ द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर 115 क्रय–विक्रय सहकारी समितियों को लगभग 2 लाख रुपये प्रति समिति की दर से 2.17 करोड़ रुपये रियायती दर 4 प्रतिशत पर व्यवसाय हेतु रिवोल्विंग फंड के रूप में उपरोक्त करवाये गये हैं ताकि वे समितियाँ अपने व्यवसाय का विस्तार कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। जून 2018 तक 2.09 करोड़ रुपये समितियों से वसूल हो चुके है।

उपरोक्त सभी विवरणों को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ज्यादातर क्रय–विक्रय समितियाँ अपना कार्य नियमित, नियमानुसार कर अपना लाभ कमा रही है जबकि कुछ समिमियों को आर्थिक सुदृढ़ता की आवश्यकता है। अगर हम राजफैड़ द्वारा दिए गए लाभांश की चर्चा करे तो पता चलता है कि राजफैड़ द्वारा वर्ष 2013–14 में 10 प्रतिशत की दर से लाभांश घोषित किया गया था। जिसको सदस्य सहकारी समितियों/राज्य सरकार एवं अन्य सदस्यों को वितरित कर दिया गया था। इस ही प्रकार 2014–15 में भी 10 प्रतिशत की दर से लाभांश घोषित किया गया जिसे नियमानुसार वितरित कर दिया गया हो। 2015–16 में 10 प्रतिशत जो नियमानुसार वितरित किया गया जबकि 2016–17 में लाभांश की दर 5 प्रतिशत रही है। जो राज्य सरकार एवं सहकारी विभाग के अनुमोदन पश्चात् वितरित किया जायेगा।

राजस्थान के सहकारिता विभाग ने ग्रामीण–युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, किसानों व जरूरतमंद लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए अपनी सक्रिय हिस्सेदारी निभाते हुए विकास के नए आयाम स्थापित किए। राजस्थान में नई सहकारी समितियों का गठन सहकारी सुविधाओं के विस्तार, उनका सरलीकरण और संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ ही सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयास किए हैं जिनको प्राप्त करने में यह विभाग सफल रहा है।

अर्थव्यवस्था के सहकारी मॉडल को विकासशील देशों ने ही नहीं अपितु विकसित देशों द्वारा भी प्रमुखता से अपनाया गया है। समूचे विश्व में करीब 100 मिलियन लोगों का सहकारिता के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया है जो कि बहुराष्ट्रीय उद्योगों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे रोजगार के अवसरों से 20 फीसदी अधिक है। हमारे देश में विभिन्न तरह की 6 लाख सहकारी समितियों से 25 करोड़ से अधिक देशवासी जुड़े हुए हैं। उर्वरक चीनी, हैण्डलूम, कृषि साख, विपणन, मत्स्य आवास आदि क्षेत्रों से सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई है।

सहकारिता के विश्वव्यापी महत्त्व को देखते हुए समूचे विश्व में एक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया गया है।

सहकारिता विकास की इस गति को बनाये रखने के लिए प्रयास एवं सुधार अत्यावश्यक है। ताकि सहकारिता सफल हो सके और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान किया जा सके। देश के सहकारी आन्दोलन को विश्व का अग्रणी सहकारी आंदोलन बनाने में हम जुट जाये। इसके लिए हमें अनुसंधान कर नवीनतम विधियों को प्रयोग करने की आवश्यकता है। वैश्वीकरण के दौर में सहकारिता को मजबूती से उभारना होगा। ताकि ग्रामीण भारत का विकास हो सके एवं देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में अपना अग्रणी स्थान बना सके।

## संदर्भ ग्रंथ सूची


1 मिश्र, पुरी भारतीय अर्थव्यवस्था।
2 नाथूराम का लक्ष्मीनारायण, भारतीय अर्थव्यवस्था।
3 नाथूराम का लक्ष्मीनारायण राजस्थान का अर्थव्यवस्था।
4 अग्रवाल, गुप्ता, माथुर, सहकारिता चिंतन एवं ग्रामीण विकास।
5 बी.एल.ओझा, अर्थशास्त्र के सिद्धांत।
6 झिंगन एम. एल. विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन।
7 गुप्ता, स्वामी भारत में आर्थिक पर्यावरण।
8 गुप्ता स्वामी, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता।
9 सेठ एम.एल. अर्थशास्त्र के सिद्धांत।
10 शुक्ला त्रिवेदी, रिसर्च मैथ्योलॉजी।
11 सांख्यिकी रूपरेखा जयपुर, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर। (वर्ष 2010–11 से 2017–18)
12 जिला सांख्यिकी रूपरेखा दौसा, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर। (वर्ष 2010–11 से 2016–17)
13 आर्थिक समीक्षा, भारत सरकार, नई दिल्ली।
14 सम फैक्ट अवाउट राजस्थान, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
15 राजस्थान इन इण्डियन इकोनॉमी, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
16 वार्षिक नक्शे सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर। (वर्ष 2010–11 से 2016–17)
17 वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, सहकारिता विभाग, जयपुर। (2010–11 से 2017–18)
18 योजना, दी इकोनोमिक्स टाइम्स, इण्डियन एक्सप्रेस, राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर।
19 सहकारिता विभाग राजस्थान जयपुर के विभिन्न नियम, आदेश एवं परिपत्र (इन अनुभागों के विभिन्न नियम, आदेश एवं परिपत्र मुख्य रूप से शामिल हैं। बैंकिंग, प्रोसेसिंग, अंकेक्षण, आयोजना, उपभोक्ता एवं विपणन, महिला प्रकोष्ठ, आई.सी.डी.पी.।

**डॉ. विजय कुमार**
**सहायक आचार्य, E.A.F.M. स्वर्गीय पण्डित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय, दौसा**


LBP PUBLICATION